22-11-22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप.
अधिवक्ता प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रार्थना
पत्र O-7 R-11 CPC का पेश किया नकल
वादी को दी गई। वास्ते जवाब व बहस
प्रार्थना पत्र O-7 R-11 CPC पत्रावली आगामी
दिनांक 30-11-22 को पेश ~~की जावे~~ हो।

30-11-22 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता
उपस्थित प्रार्थना-पत्र O-7 R-11 जा.दी.
का जवाब अप्रार्थी (वादी) द्वारा पेश
किया नकल प्रार्थी (प्रति.) को दी
गई। प्रार्थना-पत्र O-7 R-11 जा.दी. पर
पर बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी
गई। वादिनी ने अपने वाद-पत्र में
रजिस्टर्ड दान-पत्र को शून्य घोषित किये
जाने व दानपत्र के आधार पर अधिकार
की अनुतोष चाहा है उक्त अनुतोष राजस्व
न्यायालय का ~~नहीं होकर~~ क्षेत्राधिकार नहीं
होकर क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय होने
से प्रार्थना-पत्र O-7 R-11 जा.दी. सखर्चा
स्वीकार किया जाकर वादिनी का वाद खारिज
किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से ~~अलग~~
लिखा जा रहा है। शामिल पत्रावली किया

88/दावा/2022

जुबेदा बनाम नजर मोहम्मद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
30-11-22	गया। पत्रावली फैसला शुदा होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी राज0

प्रकरण संख्या 88 / 2022

पीठासीन अधिकारी
(युगांतर शर्मा R.A.S)

बउनवान

जुबेदा हनीफी पत्नी मरहूम जफर मोहम्मद आयु 57 वर्ष जाति मुसलमान निवासी 11 बी, गुलाब बाग, बजरंग नगर रोड, कोटा, राज0

वादीनी

—:बनाम:—

1. नजर मोहम्मद पुत्र मरहूम रहीम बक्श जाति मुसलमान निवासी लालपुरिया के पास, स्टेशन रोड, लाखेरी जिला बून्दी राज0
2. हैदर अली पुत्र नजर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी लालपुरिया के पास, स्टेशन रोड, लाखेरी जिला बून्दी राज0
3. इमरान हनीफी पुत्र मरहूम जफर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 11 बी, गुलाब बाग, बजरंग नगर रोड, कोटा राज0
4. ईरम हनीफी पुत्री मरहूम जफर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 11 बी, गुलाब बाग, बजरंग नगर रोड, कोटा राज0
5. नाजिस हनीफी पुत्री मरहूम जफर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 11 बी, गुलाब बाग, बजरंग नगर रोड, कोटा राज0
6. दानिश हनीफी पुत्र मरहूम जफर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 11 बी, गुलाब बाग, बजरंग नगर रोड, कोटा राज0
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार /उपपंजीयन तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
8. राजस्थान सरकार जर्ये कलक्टर बून्दी राज0
9. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाखेरी जिला बून्दी राज0

10 बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबंधक लाखेरी जिला बून्दी राज0

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा 53, 88, 92(ए), 188 आर0टी0एक्ट
(आदेश 7 नियम 11 जा0 दी0)
उपस्थिति–1. श्री सुरेश वर्मा(एडवोकेट)
2. श्री राजेन्द्र जैन (एडवोकेट)

निर्णय दिनांकः–30.11.2022

वादीनी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 92(ए) आर0टी0एक्ट में प्रस्तुत कर वाद वर्णित आराजी में अपने अधिकारों की घोषणा एवं बटवारे का अनुतोष चाहा गया। जिसके प्रतिवाद में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से प्रार्थना–पत्र आदेश 0–7, नियम–11 जा0दी0 पेश किया गया प्रार्थना–पत्र पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रार्थी (प्रतिवादी संख्या 1 व 2) के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि वादीनी वाद वर्णित आराजी जो कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज हो में से मौखिक हिस्सा के आधार पर 9 बीघा जमीन अपनी बताकर घोषणा कराना चाहती है, जबकि वादीनी का कोई हक अधिकार नहीं है वाद वर्णित आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी प्रतिवादी क्रम 1 ने दावे से पूर्व सम्पूर्ण भूमि जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र से प्रतिवादी क्रम 2 को दान कर दी गई। प्रार्थी (प्रतिवादी 1 व 2) अधिवक्ता ने कथन किया कि पंजीकृत दान–पत्र को निरस्त कराये बिना वांछित अनुतोष दिया जाना संभव नहीं है। पंजीकृत दान–पत्र निरस्त कर अनुतोष दिया जाना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। इस की पुष्टि हेतु प्रार्थी द्वारा पूर्व न्यायिक दृष्टांत डीएनजे 2021 (1) पेज नं.

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

पेश किया गया और निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीनी का वाद खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी (वादीनी) के अधिवक्ता ने प्रार्थी के कथन का विरोध करते हुए कथन किया कि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत दान-पत्र प्रारंभ से ही शून्य व प्रभावहीन है। वादीनी का वाद घोषणा, बटवारा, स्थायी निषेधाज्ञा बाबत है जिसका विधिवत रूप से विचारण कर निर्णय पारित करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय की धारा 207 आर0टी0एक्ट के तहत है जहां तक क्षेत्राधिकार का प्रश्न तव्य एवं कानून का मिश्रित प्रश्न है जिसको उभयपक्षों की साक्ष्य के आधार पर ही निर्णित किया जा सकता है। अप्रार्थी (वादीनी) ने अपने जवाब के समर्थन में पूर्व न्यायिक दृष्टांत, आर.एल.डब्ल्यू. 2003(1) आर.जे. पेज 40, आर.एल.डब्ल्यू. 2015 (1) आर.जे. पेज नं. 85, डी.एन.टी. 2015 एस.सी. पेज 242, डी.एन.जे. 2019 (1) एच.सी. पेज 3, डी.एन.जे. 2013 (3) राज0 पेज 1219 पेश किये गये।

उभयपक्षों की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली वाद-पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्व न्यायिक दृष्टांत प्रकरण पर पूर्ण रूपेण चस्पा होते हैं एवं प्रार्थना-पत्र आदेश-7, नियम-11 के संबंध में विभिन्न प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय ने यह मत प्रतिपादित किया है कि वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों के प्रकाश में ही प्रार्थना-पत्र निर्णित किया जावे।

वाद-पत्र में प्रस्तुत तथ्यों अनुसार संदर्भित दान-पत्र को अवैध बताते हुए प्रभावशून्य व निष्प्राभावी घोषित कराने का अनुतोष चाहा है साथ ही विवादित आराजी के संबंध में अधिकारों की घोषणा

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

करवाते हुए विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। जहां तक दान–पत्र के अवैध होने व प्रभावशून्य घोषित कराने का क्षेत्राधिकार का प्रश्न है। इस संबंध में प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत डी.एन.जे. 2021(1) पेज 174 इस प्रकरण पर पूर्णरूपेण चस्पा होता है। दान–पत्र के अवैध होने व प्रभावशून्य घोषित कराने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है।

अतः क्षेत्राधिकार के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश–7, नियम–11 जा0दी0 सशर्त स्वीकार कर वादीनी का वाद–पत्र खारिज किया जाता है कि वह दान–पत्र की अवैधता व प्रभावशून्यता का सक्षम न्यायालय से निर्धारण कराकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र होंगे। तदनानुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल शमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी................................ मुकाम...........................लाखेरी..................व

इजलास........................श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)..

1 जुबैदा हनीफी पत्नी मरहूम जफर मो0 जा0 मुसलमान निवासी बजरंगनगर रोड कोटा राज0।
(वादीनी)

बनाम

1.नजर मोहम्मद पुत्र मरहूम रहीम बक्श जाति मुसलमान नि0 लाखेरी जिला बून्दी राज0।
2.हैदर अली पुत्र नजर मोहम्मद जाति मुसलमान नि0 लाखेरी जिला बून्दी राज0।
3. इमरान हनीफी पुत्र मरहूम जफर मोह0 जा0 मुसलमान निवासी कोटा राज0।
4. ईरम हनीफी पुत्री मरहूम जफर मोहम्मद जा0 मुसलमान निवासी कोटा राज0।
5. नाजिस हनीफी पुत्री मरहूम जफर मोह0 जा0 मुसलमान निवासी कोटा राज0।
6. दानिश हनीफी पुत्र मरहूम जफर मोह0 जा0 मुसलमान निवासी कोटा राज0।
7. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार/उप पर्जीयन तह0 इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
8. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान कलक्टर महोदय बून्दी।
9. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाखेरी जिला बून्दी।
10. बैंक ऑफ बडौदा शाखा प्रबंधक लाखेरी जि0 बून्दी।
(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत 53, 88, 92 (ए), 188 आर0टी0एक्ट।..........

....यह

मुकदमा नम्बर............................../दावा/2020..सन...

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू...हमरे...

व हाजिरी

1.श्री सुरेश वर्मा एडवोकेट(वादी)...।मिनजानिबमुद्दइकृ एडवोकेट(प्रतिवादी)..

....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

क्षैत्राधिकार के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश–7, नियम–11 जा0दी0 सशर्त स्वीकार कर वादीनी का वाद–पत्र खारिज किया जाता है कि वह दान–पत्र की अवैधता व प्रभावशून्यता का सक्षम न्यायालय से निर्धारण कराकर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतू वाद प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होंगें।

....निज.......................................मुबलिग...बाबत......................

....फीसदी सालाना आज की तारीख

...खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....

....का अदा करें।

से तारीख अदायगी तक ....

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....30...माह..........11.......... सन...2022.......................को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

दस्तखत

मुहर ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	[illegible]
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी